कार्यालय वनमंडलाधिकारी, वनमण्डल (सामान्य) नर्मदापुरम मध्यप्रदेश

Phone No. (07574-254178, 254808) **E-Mail -dfot.hbd@mp.gov.in**

क्रमांक / मा.चि. / 7095 नर्मदापुरम, दिनांक 22 / 06 / 2022

प्रति,

उप मुख्य अभियंता (निर्माण),
सेंट्रल रेल्वे सी0आर0,
नागपुर डिविजन,
बैतूल, अजनी, नागपुर

विषय :– Proposal for diversion of 9.9857 hectare Foresr area for proposed 3rd railway line between jujharpur (KM 750+000) and Dodharamohor(KM 792+650) section.

संदर्भ :– 1. परिवेश पोर्टल पर दिनांक 14.02.2022 को ऑनलाईन प्रपोजल क्र FP/MP/RAIL/150074/2021 .
2. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक नर्मदापुरम वृत्त नर्मदापुरम का पत्र क्रमांक / मा.चि. / 4464 दिनांक 30.06.2022 ।

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा वृत्त कार्यालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि – परिक्षेत्र–इटारसी के बीट–पूर्व बागदेव एवं कीरतपुर के कक्ष क्रमांक क्रमशः 129 एवं 131 तथा परिक्षेत्र सुखतवा के बीट जालीखेड़ा के कक्ष क्रमांक 47 में कुल 9.9857 हेक्टेयर वनभूमि (नर्मदापुरम 8.7361 हे0), तीसरी रेल्वे लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् उपयोग पर दिये जाने हेतु आपके द्वारा लेख किया है।

1. विगत वर्ष में भी आपके द्वारा उक्त वनक्षेत्र में तीसरी रेल्वे लाईन बिछाने हेतु 0.80 हेक्टेयर वनभूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत उपयोग पर लिये जाने हेतु प्रस्ताव **क्र / FP / MP / RAIL / 42392 / 2019** प्रस्तुत किया था। जिसमें पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि रूपये 35,000 / – जमा कराई गयी थी। इस संबंध में वरिष्ठ कार्यालय के पत्र क्रमांक / भू–प्रबंध / 2019 / 3851 दिनांक 27.05.2019 एवं पत्र क्रमांक / भू–प्रबंध / 2020 / 4338 दिनांक 07.08.2020 द्वारा दो बार सर्वेक्षण / पूर्वेक्षण की अनुमति प्रदान की जा चुकी हैं।

2. वर्तमान में भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर कुल 9.9857 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव क्र / **FP / MP / RAIL / 150074 / 2021** प्रस्तुत किया है। उपरोक्त दोनों ही प्रकरण अलग–अलग नम्बर से रजिस्टर्ड होने से इस प्रकरण में आपके द्वारा मध्य प्रदेश शासन वन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक / एफ–5–14 / 2005 / 10–3 दिनांक 30 जुलाई 2012 के अनुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क तथा सर्वेक्षण / पूर्वेक्षण का शुल्क जमा करवाया जाकर पावती रसीद प्रस्तुत करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए है।

अतः म0प्र0 शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश के परिपालन में पंजीयन शुल्क की राशि रू 5000 / – एवं प्रोसंसिंग शुल्क की राशि रू 30000 / – कुल 35000 / – (पैतीस हजार मात्र) को **www.mptreasury.org** पर जाकर **Cyber treasury** पर क्लिक करें। ऐसा करने पर 15 विभागों के नाम प्रदर्शित होंगे। वन विभाग का नाम इनमें सम्मिलित नहीं है। वन विभाग के लिये सबसे अंतिम में अंकित **Other Department** पर क्लिक करे तथा 0406–01–800–0229 **miscellaneous**

receipts (विविध व्यय) का चयन करते हुए राशि जमा करे **अथवा** अधोहस्ताक्षरकर्ता के पदनाम का डिमाण्ड ड्राफ्ट इस कार्यालय में जमा करावें। उपरोक्तानुसार राशि जमा कराने के पश्चात् संयुक्त सर्वे की अनुमति प्रदाय करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

वनमंडलाधिकारी
वनमण्डल (सामान्य) नर्मदापुरम

पृ0क्रमांक / मा.चि. / 7095 नर्मदापुरम, दिनांक 22 / 06 / 2022

प्रतिलिपि :— अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक नर्मदापुरम वृत्त नर्मदापुरम की ओर आपके पत्र क्रमांक / मा.चि. / 4464 दिनांक 30.06.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
वनमण्डल (सामान्य) नर्मदापुरम

Seen

वन-मण्डलाधिकारी सामान्य
नर्मदापुरम (म.प्र.)